(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः डा0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2070–एक/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 03–06–2014, 16–06–2014 एवं 19–06–2014 पारित द्वारा नायब तहसीलदार जिला उज्जैन प्रकरण कमांक 746/बी–121/2013–14.

———

1– बद्रीलाल पुत्र श्री बुद्धेश्वर
2– सुरेश पुत्र श्री बुद्धेश्वर
निवासीगण ग्राम लेकोड़ा
तहसील व जिला उज्जैन म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– रामेश्वर पुत्र श्री नाथू
2– कैलाश पुत्र श्री नन्दराम
3– बद्रीलाल पुत्र श्री भागीरथ
4– महेश पुत्र श्री शंकरलाल
5– मुकेश पुत्र श्री शंकरलाल
6– घनश्याम पुत्र श्री चिन्तामण
7– अम्बाराम पुत्र श्री नगजीराम
8– हजारी पुत्र श्री बाबूलाल
9– शंकर पुत्र श्री नन्दराम
निवासीगण ग्राम लेकोड़ा, तहसील
व जिला उज्जैन म.प्र. ——— अनावेदकगण

———

श्री के0के0 द्विवेदी अभिभाषक – आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक – अनावेदकगण

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 1 अप्रैल 2016 को पारित)

यह निगरानी नायब तहसीलदार जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 746/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 03–06–2014, 16–06–2014 एवं

19–06–2014 के विरूद्ध म.प्र. भू– राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकों द्वारा नायब तहसीलदार न्यायालय के समक्ष एक शिकायत इस आशय की प्रस्तुत की कि आवेदकों द्वारा भूमि खसरा नं0 900 रकवा 0.12 है0 पर अवैध रूप से मकान निर्माण कर रास्ता रोका जा रहा है, इसलिये निर्माण कार्य को रोका जाय । नायब तहसीलदार उज्जैन ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारम्भ की तथा आवेदकों के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया । नायब तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 03–06–2014,16–06–2014 एवं 19–06–2014 को निरस्त करने हेतु आवेदकों द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की ।

उभयपक्ष अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत धारा– 52 के आवेदन पर अधिकतम एक बार में केवल 3 माह के लिए स्थगन दिया जा सकता है । परन्तु नायब तहसीलदार द्वारा स्थगन आदेश में कोई समयावधि अंकित नहीं की है । आवेदक अभिभाषक द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि आवेदकों को अपने भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि पर ही मकान निर्माण कार्य किया है तथा ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लिया है विचाराधीन भूमि पर कोई रास्ता नहीं है । इसलिये रास्ता रोकने की शिकायत गलत है । अनावेदकों के अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित है । जिस स्थान पर आवेदक मकान निर्माण कर रहा है वहां पर अनावेदकों का अपनी भूमि पर जाने का रूढिगत रास्ता है । अगर आवेदकों द्वारा मकान निर्माण कर लिया जायेगा तो अनावेदकों का अपनी भूमि पर जाने का रास्ता रूक जायेगा । आवेदकों द्वारा बिना डायवर्सन कराये ही मकान निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया है । प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार उज्जैन के समक्ष अनावेदकों द्वारा एक शिकायती पत्र प्रस्तुत किया जिसमें आवेदकों द्वारा बिना अनुमति के मकान का निर्माण किये जाने की शिकायत करने पर नायब–

तहसीलदार ने पटवारी से प्रतिवेदन लिया । पटवारी के प्रतिवेदन में उल्लेख है कि विचाराधीन भूमि राधेश्याम, शांतिलाल आदि के नाम से दर्ज है । आवेदकों द्वारा जहां मकान बनाया जा रहा है उसका डायवर्सन नहीं कराया गया । पंचायत से अनापत्ति प्रमाण–पत्र लिया गया है । जहां पर मकान निर्माण किया जा रहा है के पीछे एवं आस–पास शिकायतकर्ता रामेश्वर आदि (अनावेदकों) की भूमि लगी हुई है । निजी भूमि में से होकर एक दूसरे के खेत में से होकर कृषक निकलते है । राजस्व अभिलेख में रास्ता नहीं है । नायब तहसीलदार ने दिनांक 03–06–2014 को पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर स्थगन आदेश जारी किया जिसमें स्थगन कितनी अवधि के लिये था यह अंकित नहीं किया तथा अनावेदकों को विचाराधीन भूमि के भूमि स्वामी स्वत्व, डायवर्सन एवं निर्माण की अनुमति के दस्तावेज सहित संबंधितों को उपस्थित होने के लिये आदेश दिया । नायब तहसीलदार ने दिनांक 16–06–2014 को कोई आदेश नहीं दिया गया तथा दिनांक 19–06–2014 को सूचना पत्र का जबाव देने के लिये बद्रीलाल आदि ने समय चाहा तथा शिकायती पत्र, पटवारी के प्रतिवेदन आदि की प्रति मांगी जिसे प्रदाय करने के लिये आदेश दिया गया । इस प्रकार स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार ने दिनांक 03–06–2014 को स्थगन आदेश जारी किया है । जिसमें कोई समयावधि अंकित नहीं की । नायब तहसीलदार के प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण में कार्यवाहीं निरंतर की जा रही है । आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि भू–राजस्व संहिता के अंर्तगत अधिकतम 3 माह का स्थगन आदेश दिया जा सकता है । जबकि नायब तहसीलदार ने स्थगन आदेश में समयावधि अंकित नहीं की । पटवारी प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदको ने मकान निर्माण के पूर्व डायवर्सन नहीं कराया । जब कि भवन निर्माण के पूर्व आवेदकों को विधिवत डायवर्सन एवं मकान का नक्शा सक्षम अधिकारी से पास कराना भी आवश्यक है। यद्यपि यह निगरानी नायब तहसीलदार द्वारा शिकायत के आधार पर की गई जांच कार्यवाही के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है परन्तु इसमें नायब तहसीलदार द्वारा दिये गये स्थगन आदेश की कार्यवाही का प्रभाव राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के अनुरूप है । इस प्रकार के प्रकरण का निराकरण शीघ्र किया जाना चाहिए । अतः निगरानी ग्राह्य कर

प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि नायब तहसीलदार अधिकतम 3 माह के भीतर इस प्रकरण में उभयपक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देकर एवं स्थल निरीक्षण तथा शासकीय अभिलेख का अवलोकन विधिवत कार्यवाही कर प्रकरण का निराकरण करें तथा यदि आवश्यक समझे तो अधिकतम 3 माह तक की यथास्थिति का आदेश दे ।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर